

# Dr.Raman Kumar Thakur

Department of Economics,  
D. B. College, Jaynagar, Madhubani.

## Class B.A.part 1(H.)

Date :-14-07-20

### Topic- प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर

(Direct and indirect tax):- किसी भी देश की सरकार का मुख्य दायित्व तीव्र गति से आर्थिक विकास करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बड़ी मात्रा में वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती है। और इन्हीं संसाधनों के लिए देश की जनता से राजस्व प्राप्त करना आवश्यक हो जाता है राजस्व प्राप्त हेतु सरकार को किसी न किसी रूप में कर लगाना आवश्यक हो जाता है। और इस प्रकार कर सरकार के राजस्व का महत्वपूर्ण अंग बन जाता है।

जहां तक कर का संबंध है इसका वर्गीकरण विभिन्न दृष्टिकोण से किया जाता है इसमें मुख्य रूप से इसे पांच प्रकार के रूप में वर्णित किया गया है। प्रथम, स्वरूप अर्थात् स्वरूप के आधार पर कर इसके अंतर्गत प्रत्यक्ष कर एवं अप्रत्यक्ष करों को शामिल किया जाता है। दूसरा आधार, प्रकृति का है और उस आधार पर आयकर, संपत्ति कर, उत्पादन पर कर, उपभोग पर कर, पूंजीगत वस्तुओं पर कर, एवं उपभोक्ता वस्तुओं पर कर लगाया जाता है। तीसरा, आधार, इसमें विशिष्ट कर तथा चौथा, वर्गीकरण आकार अर्थात्, (volume) के आधार पर जिसके अंतर्गत एकल कर और दूसरा बहुल कर शामिल होता है। और अंतिम वर्गीकरण (Method) के आधार पर होता है जिसमें Regressive and Digressive कर लगाए जाते हैं।

उपर्युक्त करों का आधार जो कुछ भी हो प्रायः सभी कर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों की सीमा में आते हैं यहां हमें प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों में भेद एवं उनके गुण दोषों की विवेचना करना है इसलिए यह भी आवश्यक है कि हम इन दोनों करों के विकास पर काफी संक्षिप्त रूप में दृष्टिपात करें प्रायः ऐसी धारणा है कि

उन करो का उद्गम 16वीं शताब्दी में फ्रांस में हुआ था. " एडम स्मिथ "ने सर्वप्रथम प्रत्यक्ष करो की चर्चा की किंतु विशेष रूप से इसकी व्याख्या नहीं की है. इसी प्रकार अमेरिका में व्यक्तिगत करो का प्रचलन हुआ और इसे 'poll tax ' की चर्चा की गई जिसे व्यक्तिगत कर कहा गया। जैसे जैसे आर्थिक विकास की प्रक्रिया बढ़ती गई इन दोनों करो के संबंध में अर्थशास्त्रियों ने अपने-अपने ढंग से उसे परिभाषित करने का प्रयास किया जिनमें जे०एस० मील,डाल्टन, बेस्टाबुल,डिमाको, Hicks, आदि प्रमुख उपर्युक्त अर्थशास्त्रियों द्वारा दी गई परिभाषा ही प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करो में भेद को दर्शाती है इसलिए दोनों करो में अंतर परी भाषाओं की व्याख्या से ही स्पष्ट हो जाता है। सर्वप्रथम जे०एस०मिल ने दोनों करो में जो अंतर किया है उसे हम निम्न रूप में वर्णित कर सकते हैं-

1) इनके विचार में उत्पादन पर लगने वाले कर को हम प्रत्यक्ष कर में शामिल करेंगे, और उपभोग पर लगने वाले कर को प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत शामिल किया जाएगा .

2)आय से संबंधित कर प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत शामिल होंगे ,और व्यय से संबंधित

करो का प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत रखा जाएगा।

3) ऐसे कर जो स्पष्ट हो वह आयकर की परिधि में आते हैं. और जो कर छिपे हुए होते हैं वह अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आते हैं।

4) चौथी महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत उसी व्यक्ति से कर वसूला जाता है जो उसका भुगतान करता है इसके अंतर्गत आयकर, संपत्ति कर, एवं मृत्यु कर को शामिल किया गया है ।जबकि अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत किसी व्यक्ति से आशा की जाती है कि वह दूसरे व्यक्ति से कर वसूल कर उसकी क्षतिपूर्ति करेगा और इसके अंतर्गत विक्री कर ,सीमा शुल्क, मनोरंजन कर आदि को शामिल किया गया है.

मिल्की यह व्याख्या के साथ ही उनके द्वारा दी गई परिभाषा पर विचार करना आवश्यक है इनके विचार में प्रत्यक्ष करो उसी व्यक्ति से वसूल किया जाता है जिससे यह आशा की जाती है कि वही उसका भुगतान करें अप्रत्यक्ष करवाकर हैं जो किसी व्यक्ति से इस आशा से प्राप्त किए जाते हैं कि वह दूसरे व्यक्ति से

वसूल करके छतिपूर्ति कर लेगा. इन्होंने इन बातों का उल्लेख अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी में किया है किंतु यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि इनकी आलोचना का कुछ महत्वपूर्ण आधार है वह यह है कि करो के अंतिम भुगतान के संबंध में करो को लागू करने वाले अधिकारियों के इरादे अनिश्चित हो सकते हैं दूसरी बात यह है कि करके बाहर के विवर्तन के संबंध में जानकारी प्राप्त करना काफी कठिन कार्य है और तीसरा, यह है कि करो के अंश का विवर्तन दूसरों पर किया गया है इसकी जानकारी में भी काफी अधिक कठिनाई होती है।

प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण विचार "डाल्टन साहब" का है और प्रायः अधिकांश विचारको ने इसे श्रेष्ठ माना है। इनके विचार में प्रत्यक्ष कर वे कर है जो पूर्णतः उस व्यक्ति द्वारा चुकाए जाते हैं जिस पर वह कर लगाए जाते हैं, अर्थात्, वह कर का भार दूसरों, पर नहीं टाल सकता है। डाल्टन का विचार प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर के संबंध में काफी स्पष्ट है। करो के भुगतान करने का उत्तरदायित्व एवं उस पर भार दोनों उसी व्यक्ति पर पड़ता है जो कर को चुकाता है, जबकि अप्रत्यक्ष करों में कर ऐसे व्यक्ति को लगाया जाता है जो उसके संपूर्ण भार को किसी दूसरे व्यक्ति पर टाल सकें। इस प्रकार ऐसे करो का अंतिम भाग दूसरे के ऊपर पड़ता है करदाता वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य में करानुसार वृद्धि करके इसके भार को उपभोक्ताओं पर टाल देते हैं। इसलिए डाल्टन ने वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए गए कर को अप्रत्यक्ष कर के रूप में शामिल किया है।

तीसरी महत्वपूर्ण परिभाषा "प्रोफ़ेसर बेस्टेबल' ने दी है जिस पर विचार करना भी आवश्यक है .इनके विचार में "प्रत्यक्ष कर वे कर हैं जो स्थाई तथा बार-बार उत्पन्न होने वाले अवसरों पर लगते हैं" और अप्रत्यक्ष कर वे हैं जो कभी-कभी उत्पन्न होने वाले अवसरों पर लगते हैं। जहां तक "बेस्टाबुल"के विचार का प्रश्न है वह काफी अस्पष्ट है क्योंकि इसका आधार ही स्पष्ट नहीं है .इन्होंने यह विचार अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'पब्लिक फाइनेंस' में उद्धृत किया है। इसके उपरांत "prof. Demarco " ने कहा है कि "प्रत्यक्ष कर वे होते हैं जो उस समय लगाए जाते हैं जब व्यक्ति की आय का प्रत्यक्ष अनुमान लगाया जा सकता है,और अप्रत्यक्ष कर वह होते हैं जो उस समय लगाए जाते हैं जब व्यक्ति

की आय का प्रत्यक्ष अनुमान संभव नहीं होता"। अब हम प्रोफेसर पिंडली सिराज प्रोफेसर पिंधले सिराज के विचार को प्रस्तुत करेंगे जिनके अनुसार "प्रत्यक्ष कर वह हैं जो शीघ्र ही व्यक्तियों की संपत्ति तथा आय पर लगाए जाते हैं और जिनका भुगतान उपभोक्ताओं द्वारा सरकार को सीधा होता है. इस प्रकार आय तथा संपत्ति कर, मृत्यु कर, व्यक्ति कर, और उपभोग कर, प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आते हैं जबकि शेष सभी कर अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आते हैं. इन दोनों करो के संबंध में कुछ अर्थशास्त्रियों ने प्रशासन संबंधी मामलों को ध्यान में रखते हुए इस में भेद किया है कुछ विचार को के अनुसार प्रत्यक्ष कर व्यक्तियों की आय पर ऐसे समय भाड़ देता है जब उत्पादन की प्रक्रिया चलती रहती हैं जबकि व्यक्तियों के निजी उपभोग तथा संपत्ति के हस्तांतरण के समय अप्रत्यक्ष कर का भार पड़ता है . यहां एक प्रश्न उठता है कि कुछ ऐसे कर जिनका भुगतान ना तो उत्पादन के समय होता है और ना ही उपभोग के समय, तो ऐसी परिस्थितियों में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत शामिल नहीं होता है ।

उपर्युक्त वर्णन से हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि दोनों कारों के बीच भेद करना काफी जटिल है इसकी पुष्टि उपर्युक्त वर्णन से होती है सभी दृष्टिकोण से हम डाल्टन की परिभाषा को ही सबसे अधिक उपयुक्त मान सकते हैं क्योंकि यह काफी व्यवहारिक है हम करके बाहर के आधार पर दोनों में भेद को काफी सरल एवं वैज्ञानिक मान सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि कार्य का भार जिस व्यक्ति पर पड़ता है अपेक्षाकृत अन्य बातों का उतना महत्व नहीं होता है दोनों करो के संबंध में तुलनात्मक विश्लेषण करना आवश्यक हो जाता है क्योंकि तभी हम सही स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं हां यह बात आवश्यक है कि हम विभिन्न दृष्टिकोण से इसकी तुलना कर सकते हैं यहां पर हम पुराने विचारकों के विचार को उद्धृत करना चाहेंगे जिसमें यह कहा गया कि अप्रत्यक्ष कर प्रत्यक्ष कर की अपेक्षा खराब होते हैं जिसका कारण यह है कि अप्रत्यक्ष करों से प्राप्त आय का भार प्रत्यक्ष करो की अपेक्षा अधिक होता है. दूसरी बात यह है कि उन्होंने संसाधन के वितरण पर प्रत्यक्ष करो के प्रभाव का उल्लेख किया है और कहा है कि अप्रत्यक्ष करों की अपेक्षा प्रत्यक्ष करों का प्रभाव कम हानिकारक है । कुछ विचार को नहीं प्रशासन की दृष्टि से भी दोनों करों के बीच भेद किया है जिसका उल्लेख काफी संक्षिप्त रूप में ऊपर वर्णित

है। किंतु इस संबंध में यह तो स्पष्ट है कि प्रत्यक्ष कर कम आय वाले व्यक्तियों पर नहीं लगाया जाता और उसकी निश्चित सीमा तय कर दी जाती है। लेकिन जहां तक वसूली का प्रश्न है इसमें काफी कठिनाई होती है साथ ही करदाताओं के लिए असुविधाजनक है प्रायः ऐसे दोष अप्रत्यक्ष कर में नहीं पाया जाता है। किंतु यहां पर हम इस आधार पर दोनों में भेद करना उचित नहीं मान सकते हैं।